

छत्तीसगढ़ शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग

:: मंत्रालय ::

महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर

// अधिसूचना //

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 12/10/2022

क्रमांक एफ 7-13/2022/32 :: राज्य शासन एतद् द्वारा इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 04.07.2022 में निम्नानुसार संशोधन करती है, अर्थात :-

संशोधन

(1) शर्त क्रमांक 2 एवं 3 के स्थान पर निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात:-

शर्त क्रमांक 2-

“उक्त कार्य हेतु प्रतिवेदन लिया जाकर संबंधित नगर पालिक निगम में नियुक्त नगर निवेश अधिकारी/भवन अनुज्ञा अधिकारी (अधीक्षण अभियंता/कार्यपालन अभियंता) द्वारा अनुमोदन उपरांत जारी किया जा सकेगा।”

शर्त क्रमांक 3-

“विकास अनुज्ञा अनुमोदन के उपरांत संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश के अधिकारिक वेबसाईट में अनुज्ञा पत्र एवं स्वीकृत अभिन्यास की प्रति अपलोड किये जाने हेतु सॉफ्टकॉपी उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य होगा।”

(2) शर्त क्रमांक 7 के पश्चात् नवीन शर्त क्रमांक-8 एवं 9 निम्नानुसार जोड़ा जाए, अर्थात:-

शर्त क्रमांक 8-

“एकल खिड़की प्रणाली के तहत समस्त कॉलोनी विकास संबंधी स्वीकृतियां यथावत नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा ही संपादित की जायेगी।”

शर्त क्रमांक 9-

“समस्त व्यक्तिगत ले-आउट संबंधी आवेदन (आवासीय एवं व्यावसायिक) नगर निगमों द्वारा जारी किये जाएंगे। व्यक्तिगत आवेदनों को छोड़कर यथा कंपनी, फर्म, उद्योग संबंधी समस्त आवेदन नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा विकसित पोर्टल के माध्यम से पूर्ववत् किये जायेंगे”


(सी.तिर्की)

उप सचिव,

छत्तीसगढ़ शासन,
आवास एवं पर्यावरण विभाग

प्रतिलिपि :-

1. राज्यपाल के सचिव, छत्तीसगढ़ राजभवन, रायपुर,
2. अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मुख्यमंत्री सचिवालय,
3. उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मुख्य सचिव कार्यालय,
4. समस्त विभाग छत्तीसगढ़ शासन,
5. समस्त विभागाध्यक्ष,
6. संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, नवा रायपुर अटल नगर,
7. आयुक्त सह संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग,
8. कलेक्टर, जिला रायपुर/दुर्ग/बिलासपुर/राजनांदगांव/रायगढ़/जगदलपुर/अंबिकापुर/कोरबा/धमतरी/
9. संयुक्त संचालक/उप संचालक/सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर / बिलासपुर / दुर्ग / राजनांदगांव / रायगढ़ / कोरबा / जगदलपुर / धमतरी /अंबिकापुर,
10. आयुक्त, नगर पालिक निगम, रायपुर / बिरगांव / दुर्ग / भिलाई / चरौदा / रिसाली / राजनांदगांव /रायगढ़ / बिलासपुर / जगदलपुर / अंबिकापुर / कोरबा /धमतरी,
11. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, आवास एवं पर्यावरण विभाग,
12. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, श्रम विभाग,
13. स्टॉफ ऑफिसर, अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग,
14. उप संचालक, शासकीय मुद्रणालय, राजनांदगांव, कृपया आगामी राजपत्र में प्रकाशन करें।


 उप सचिव,
 छत्तीसगढ़ शासन,
 आवास एवं पर्यावरण विभाग

